

तारीख
हुक्म

- हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

02/12/18 उपस्थित अधिकारी बनेडा
फाइल - 174 प्रकरण सं - 67

6/12/18 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अक्कार में पधारें
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 22/1/19 को पेश हो।

22.01.2019

आज्ञा से
रीडर

तहसीलदार
बनेडा

पत्रावली-पेश हुई। विपक्षीगण नियत शिविर में अनुपस्थित।
वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा ने
यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत
सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा,
घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व
वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आज वक्त सुनवाई वादी
राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने इसी मौजूदा वादपत्र में अब
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण
में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये
गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र
वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये
जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।